उद्योग संचालनालय, मध्यप्रदेश

(सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग)

क्रमांक 1/स्वरो/5/(3-ब)/2020/ 2670-2721 भोपाल दिनांक 27.08.2020

प्रति,

बैंक स्टेट हेड (समस्त)
मध्यप्रदेश ।

विषयः- राज्य शासन की स्वरोजगार योजनाओं के अन्तर्गत मार्जिनमनी/ब्याज अनुदान राशि सीधे हितग्राही के लोन खाते में क्रेडिट किये जाने के संबंध में।

विषयांतर्गत लेख है कि राज्य शासन की मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना एवं मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजनान्तर्गत बैंक द्वारा स्वीकृत की गई परियोजनाओं में राज्य शासन द्वारा वित्तीय सहायता के रूप में मार्जिनमनी अनुदान, ब्याज अनुदान एवं CGTMSE शुल्क अनुदान हितग्राहियों को दिया जाता है। इन स्वरोजगार योजनाओं का क्रियान्वयन एमपी ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से किया जाता है, जिसमें बैंक शाखाओं द्वारा स्वीकृत किये गये प्रकरणों में नोडल बैंकों से हितग्राही की अनुदान राशि क्लेम की जाती है।

वर्तमान में बैंक शाखाओं द्वारा नोडल बैंक से क्लेम की गई अनुदान राशि उनके नॉमिनल/सस्पेन्स अकाउंट में ट्रांसफर की जाती है, तत्पश्चात बैंक शाखाओं द्वारा हितग्राही के पक्ष में प्राप्त राशि का वितरण किया जाता है, जिसके कारण यह स्पष्ट नहीं हो पाता कि बैंक शाखा द्वारा हितग्राही को अनुदान राशि का वितरण किया भी गया है या नहीं, अथवा किस दिनांक को वितरण किया गया है ?

अतः विभाग द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि नोडल बैंक द्वारा अनुदान की राशि सीधे हितग्राही के लोन खातें में क्रेडिट की जायेगी, **इसलिए अनुरोध है कि जिन बैंकों के CBS में यह व्यवस्था नहीं है कि लोन अकाउंट में अनुदान राशि सीधे क्रेडिट हो सके, वे समस्त बैंक कृपया अपने CBS सिस्टम में यह प्रावधान करायें ताकि नोडल बैंक NEFT/RTGS के द्वारा हितग्राही के लोन खातें में अनुदान राशि सीधे क्रेडिट कर सकें। कृपया इस संबंध में एक सप्ताह में कार्यवाही पूर्णकर इस कार्यालय तथा सेन्ट्रल बैंक, ऑचलिक कार्यालय, भोपाल को अवगत कराने का कष्ट करें।**

संचालक, एमएसएमई
उद्योग संचालनालय,म.प्र.

क्रमांक 1/स्वरो/5/(3-ब)/2020/ 2722-2786 भोपाल दिनांक 27.08.2020

प्रतिलिपिः-

1. राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, अरेरा हिल्स, भोपाल।
2. श्री व्ही. बालाजी राव, उप महाप्रबंधक, सेन्ट्रल बैंक, ऑचलिक कार्यालय, अरेरा हिल्स, भोपाल।
3. मुख्य परिचालन अधिकारी, एमपी ऑनलाइन, डीबी मॉल, भोपाल।
4. संयुक्त संचालक, परिक्षेत्रीय कार्यालय (समस्त), मध्यप्रदेश ।
5. महाप्रबंधक (समस्त), जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, मध्यप्रदेश।
6. श्री प्रशांत त्रिवेदी, सहायक संचालक उद्योग, आईटी कक्ष, उद्योग संचालनालय, म.प्र. भोपाल।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप संचालक,
उद्योग संचालनालय,म.प्र.